राजस्थान सरकार
नगर विकास न्यास, बीकानेर

क्रमांकः BIK/2023-24/BPAS/3736 दिनांकः 08/02/2024

विषयः 0,JAI NAYARAN VYAS COLONY ROAD (आवेदित भूखण्ड का विवरण) के भवन मानचित्र स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंगः आपका आवेदन पत्र BIK/2023-24/BPAS/3736 (Application ID)

श्री/श्रीमती **PARTNER SURESH DAFTARI** फर्म का नाम **SHREE DHARA REALTORS** निवासी **GANGASHAHAR BIKANER**

क. सैटबैक (मीटर)

भूमि उपयोग का प्रयोजनः **MIXED USE (COMMERCIAL CUM RESIDENTIAL- TYPE DESIGN)**

सामनेः **12.19**

पाश्र्व–1: **9.29**

पाश्र्व–2: **9.29**

पीछेः **9.14**

निर्माण वैधता तिथिः **07/02/2027**

उपरोक्त विषय अन्तर्गत लेख है कि आपके द्वारा भवन मानचि त्र अनुमोदन/ निर्माण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत भवन मानचि त्र ों के परीक्ष ाण उपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर भवनमानचि त्र समिति की बैठक दिनांक 14/12/2023 में लिये निर्णय के क्रम में निम्न शर्तो के साथ भवन मानचित्रों स्वीकृत किये जाते हैः–

1. भवन निर्माण अनुज्ञा की अवधि, लीजडीड में उल्लेखित अवधि या सात वर्ष या भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र में अंकित निर्माण वैधता तिथि, जो भी कम हो देय होगी । राजस्थान, नगरीय क्षेत्र बीकानेर भवन विनियम, 2020 की धारा 15.1 के अनुसार अनुज्ञा प्राप्ति के दो वर्ष में भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ करना होगा तथा उक्त धारा की अन्य शर्तों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।

2. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही किया जाना होगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन नही किया जायेगा । यदि किसी प्रकार का उल्लंघन किया जाता है तो यह स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी।

3. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्तव्य होगा कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृत मानचित्र मास्टर प्लान/जोनल प्लान व भवन विनियमों के अनुरूप है। यदि कोई उल्लंघन न्यास की जानकारी में आया तो

Signature valid

Digitally Signed by TARUN SONGRA
Designation : BPAC
Date: 2024.02.08 20:11:32 IST
Reason: Approved
Location: Rajasthan, IN

न्यास द्वारा भवन मानचित्रों की दी गयी अनुज्ञा को रद्द करने का अधिकार न्यास को होगा तथा न्यास से प्रार्थी को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का हक नही होगा।

4. राजस्थान, नगरीय क्षेत्र बीकानेर भवन विनियम, 2020 की धारा 15.2 के अनुसार भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय एक सूचना पट्ट मौके पर लगाया जायेगा जिसमें सचिव/उप नगर नियोजक , सम्बन्धित जोन व प्रवर्तन अधिकारी के टेलीफोन नम्बर इत्यादि अंकित किये जाने होंगे व अनुमोदित मानचित्र की सूचना व अनुमोदन शर्ते अंकित की जायेगी । निर्माण के दौरान अनुमोदित मानचित्र की एक प्रति आवश्यक रूप से निर्माणकर्ता द्वारा मौके पर रखी जायेंगी ।

5. भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व अधोहस्ताक्षरकर्ता एवं सचिव, नगर विकास न्यास , बीकानेर को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करनी होगी।

6. राजस्थान, नगरीय क्षेत्र बीकानेर भवन विनियम, 2020 की धारा 15.5 के अनुसार भवन विनियम की अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण करने की जिम्मेदारी भवन निर्माण अनुज्ञाधारी की होगी।

7. उक्त स्वीकृति के कारण यदि बीकानेर नगर विकास न्यास को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी अथवा संबंधित अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पडे या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।

8. स्वामी भवन के परिसर को स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा ।

9. तकनिकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना नगर विकास न्यास, बीकानेर को पूर्व में देनी होगी। यादि तकनिकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घंटे के अन्दर यथोचित प्रमाण पत्र में नगर विकास न्यास, बीकानेर को देनी होगी।

10. राजस्थान, नगरीय क्षेत्र बीकानेर भवन विनियम, 2020 की अनुपालना में भवन में भूकम्परोधी प्रावधान रखा जाना सुनिश्चित किया जावें।

11. राजस्थान, नगरीय क्षेत्र बीकानेर भवन विनियम, 2020 की धारा 18.3 की अनुपालना में " गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गयी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए

Signature valid

Digitally Signed by TARUN SONGRA
Designation : BPAC
Date: 2024.02.08 20:11:32 IST
Reason: Approved
Location: Rajasthan, IN

आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।

12. प्रश्नगत प्रकरण किसी भी न्यायालय में यदि लंबित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय में प्रकरण लम्बित है अथवा विपरीत निहित है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगें।

13. अनुमोदित भवन मानचित्रों को भवन निर्माण शुरू किये जाने के समय भवन निर्माता द्वारा एक बोर्ड पर संपूर्ण ब्यौरा सहित जो पठनीय हो, को ऐसे स्थल पर (मुख्य सडक की और) लगाया जावें जिसमे सभी लोगों को निर्मित किये जाने वाले भवन के अनुमोदन की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके।

14. भवन निर्माण के समय निर्माण सामग्री के आसपास के भवनो के निवासकर्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस हेतु भवन निर्माण के दौरान चारो और पर्दे लगवायें जायें।

15. अनुमोदित भवन मानचित्रो से अतिरिक्त निर्माण किसी भी सूरत में नहीं किया जायेगा । यदि प्रार्थी द्वारा बिना स्वीकृती निर्माण किया जाता है, तो उसे ध्वस्त करने का अधिकार नगर विकास न्यास, बीकानेर को होगा।

16. राजस्थान, नगरीय क्षेत्र बीकानेर भवन विनियम, 2020 की धारा 18.4 के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा दी गई भवन निर्माण स्वीकृति को स्वामित्व का आधार नहीं माना जायेगा एवं विवादित भूमि पर दिये गये निर्माण स्वीकृति के लिये संबंधित निकाय जिम्मेदार नहीं होगा, क्योकि निर्माण स्वीकृति केवल मात्र प्रश्नगत भूमि पर क्या निर्माण किया जा सकता है अथवा अनुज्ञेय है यही दर्शाता है।

17. उपरोक्त वर्णित शर्तों एवं राजस्थान, नगरीय क्षेत्र बीकानेर भवन विनियम, 2020 के अनुसार अन्य सभी सम्बन्धित शर्तो की पालना सुनिश्चित किया जाना होगा, उक्त की पालना नहीं होने पर भवन अनुज्ञा रद्द मानी जायेगी।

18. प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमा करवाई गयी लेबर सेस में निर्माण के समय यदि अतिरिक्त लेबर सेस राशि वांछित होती है, तो अतिरिक्त लेबर सेस राशि श्रम विभाग में जमा करवाने की जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी।

19. बेसमेन्ट से संबंधित राजस्थान, नगरीय क्षेत्र बीकानेर भवन विनियम, 2020 के समस्त प्रावधानों की पालना की जानी होगी।

20. बेसमेन्ट का उपयोग राजस्थान, नगरीय क्षेत्र बीकानेर भवन विनियम, 2020 के प्रावधानानुसार अनुज्ञेय उपयोग मे ही लिया

Signature valid
Digitally Signed by TARUN SONGRA
Designation : BPAC
Date: 2024.02.08 20:11:32 IST
Reason: Approved
Location: Rajasthan, IN

जा सकेगा।

21. कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक बीकानेर पत्रांक 1190 दिनांक 06.11.2023 में वर्णित समस्त शर्तो की पालना की जानी अनिवार्य होगी।

22. भवन की उंचाई 24 मीटर से अधिक प्रस्तावित होने के कारण बहुमंजिला भवन में अग्नि–शमन प्रावधान एन.बी.सी. एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशो के अनुसार रखे जाने अनिवार्य होगें।

23. फायर सेफ्टी हेतु विभागीय आदेश क्रमांक प.11(9) नविवि/2020 पार्ट दिनांक 14.09.2023 की पालना की जानी अनिवार्य होगी। इसकी समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।

24. भूखण्ड मे स्थित सड़को की चौड़ाई जारी पट्टा विलेख अनुसार कायम की जानी अनिवार्य होगी।

25. आवेदित भूखण्ड हेतु न्यास द्वारा जारी पट्टा विलेख मे उल्लेखित शर्तो की पालना की जानी अनिवार्य होगी।

26. बेसमेंट को राजस्थान भवन विनियम 2020 में बेसमेंट हेतु अनुज्ञेय उपयोगो के ही काम में लिया जाना अनिवार्य होगा।

27. राजस्थान भवन विनियम 2020 के प्रावधानानुसार यथा सौर ऊर्जा, जलापूर्ति, जल–मल निकासी, विधुत सेवाए इत्यादि का प्रावधान करना आवश्यक होगा।

28. निकासी के सभी बिन्दु यथा बरामदो, दरवाजो, सीढियॉ, सिढी का तल्ला व चढाई व खुर्रा, (ढलान) आदि की चौड़ाई व दुरी राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता के प्रावधानो के अनुसार किये जाने अनिवार्य होगे।

29. कुल आवश्यक पार्किंग का न्युनतम 10 प्रतिशत ई.वी चार्जिग फेसिलिटी हेतु आरक्षित किया जाना आवश्यक होगा।

30. अनुमोदित मानचित्र मे संशोधन कर दर्शित मैकेनिकल पार्किंग हटा दी गई है।

31. प्रस्तावित भवन में राजस्थान भवन विनियम 2020 में विशेष योग्यजनो के लिए निर्धारित विशेष सुविधाओ व भवन विनियम में निर्धारित अन्य समस्त मापदण्डो की पालना की जानी अनिवार्य होगी।

32. राज्य सरकार द्वारा भूमिगत जल के स्तर को बढाने के लिए वर्षा जल संग्रहण संरचना हेतु भूखण्ड के क्षेत्रफल अनुसार भवन विनियमो पर प्रावधानो के अनुपालना में वर्षा जल संग्रहण संरचना का निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा।

33. भवन विनियम के प्रावधानानुसार पार्किंग का प्रावधान किया जाना अनिवार्य होगा।

34. भवन विनियम के प्रावधान अनुसार वृक्षारोपण का प्रावधान किया जाना अनिवार्य होगा।

35. भवन का निर्माण एवं स्ट्रक्चर डिजाईन वास्तुविद/सिविल इंजिनियर के परिवेक्षण मे करवाया जाना होगा।

Signature valid

Digitally Signed by TARUN SONGRA
Designation : BPAC
Date: 2024.02.08 20:11:32 IST
Reason: Approved
Location: Rajasthan, IN

36. डिजीटल हस्ताक्षरित मानचित्र मान्य नही है। संलग्न मानचित्र कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक बीकानेर से अनुमोदित अनुसार निर्माण कार्य किया जाना अनिवार्य होगा।

37. भूखण्ड पर भवन निर्माण पूर्ण होने पर पूर्णताः प्रमाण पत्र एवं अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

प्रश्नगत भूखण्ड के निर्धारित सेटबेक छोड़ने के पश्चात् प्रस्तावित मानचित्र अनुसार बेसमेंट 1, बेसमेंट 2, एवं बेसमेंट 3+जी+7 तलों की निर्माण स्वीकृति जारी की जा रही है।

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति की आज्ञा से सचिव,

नगर विकास न्यास, बीकानेर

Signature valid

Digitally Signed by TARUN SONGRA
Designation : BPAC
Date: 2024.02.08 20:11:32 IST
Reason: Approved
Location: Rajasthan, IN

नोटः यह एक डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र है और इसके लिए किसी भौतिक हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

SHEET NO. 01

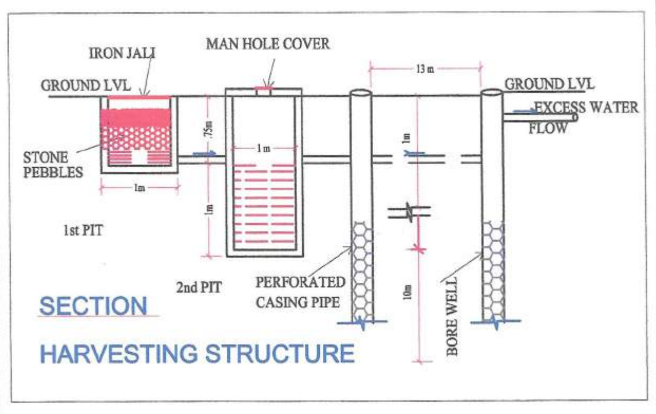

BUILT UP AND B.A.R. CALCULATION

BLOCK/ FLOOR	GROSS BUILT UP AREA	COMMERCIAL BUILT UP AREA	RESIDENTIAL BUILT UP AREA	FACILITY/ SERVICES/ CLUB HOUSE	CUT OUTS	LIFT WELL	RAMP	FIRE STAIRS	COMMERCIAL ACHIEVED B.A.R.	RESIDENTIAL ACHIEVED B.A.R.	TOTAL ACHIEVED B.A.R.
BASEMENT-3	2629.63	0.00	64.68	0.00	2.66	16.61	227.43	62.87	0.00	45.41	45.41
BASEMENT-2	2958.69	0.00	64.68	0.00	2.66	16.61	478.77	65.7	0.00	45.41	45.41
BASEMENT-1	2903.99	1276.94	68.20	0.00	5.13	16.61	916.7	65.5	1276.94	46.46	1323.40
GROUND FLOOR	1374.9	1219.17	155.73	4.51	5.13	16.61	13.52	0	1219.17	120.47	1339.64
I- FLOOR	1631.88	1159.30	77.34	0.00	2.66	16.61	0.00	0	1159.30	453.31	1612.61
II- FLOOR	1599.65	0.00	1554.13	0.00	30.54	16.61	0.00	45.52	0.00	1506.98	1506.98
III- FLOOR	1555.54	0.00	1527.45	0.00	30.54	16.61	0.00	28.09	0.00	1480.30	1480.30
IV- FLOOR	1555.54	0.00	1527.45	0.00	30.54	16.61	0.00	28.09	0.00	1480.30	1480.30
V- FLOOR	1555.54	0.00	1527.45	0.00	30.54	16.61	0.00	28.09	0.00	1480.30	1480.30
VI- FLOOR	1555.54	0.00	1527.45	0.00	30.54	16.61	0.00	28.09	0.00	1480.30	1480.30
VII- FLOOR	1555.54	0.00	1527.45	0.00	30.54	16.61	0.00	28.09	0.00	1480.30	1480.30
TERRACE FLOOR	98.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	20975.3	3655.41	9622.01	4.51	201.48	182.71	1636.42	380.04	3655.41	9619.54	13274.95

PERMISSIBLE STANDARD B.A.R.	6834.58	2.00		
ACHIEVED B.A.R.				
RESIDENTIAL B.A.R.	9619.54	2.81	1.81 Extra BAR	6202.25 Sq.mt.
COMMERCIAL B.A.R.	3655.41	1.07	0.07 Extra BAR	238.12 Sq.mt.
TOTAL B.A.R.	13274.95	3.88		

REQUIRED PARKING					
(I)	FOR COMMERCIAL B.A.R.	ACHIEVED B.A.R./75	=	48.739	ECU
(+)	25%	FOR VISITORS	=	12.185	ECU
(ii)	FOR RESIDENTIAL B.A.R.	ARCHIEVED B.A.R./115	=	83.648	ECU
(+)	10%	FOR VISITORS	=	8.364	ECU
TOTAL REQUIRED PARKING			=	152.93	ECU

REQUIRED CARS	75%	=	114.69	SAY	115
REQUIRED TWO WHEELERS	25%	=	38.23	SAY	115

PROVIDED PARKING	BASEMENT-3	BASEMENT-2	BASEMENT-1	MECH.	OPEN	TOTAL
CARS	65	54	0	[illegible]	0	[illegible]
HANDICAP PARKING	0	0	0	0	2	2
TWO WHEELERS	33	56	77	0	0	166

1	PLOT AREA		3417.29	Sqm.	
2	APPROACH ROADS		48.00 M.		
3	SET BACKS				
			FRONT	SIDE	SIDE	REAR
		PERMISSIBLE	12.00	9.00	9.00	9.00
		PROPOSED	12.19	9.29	9.29	9.14
4	BUILDING HEIGHT				
		MAX PERMISSIBLE	30.00 M		
		ACHIEVED	27.00 M. +1.2 M. Plinth		
5	MINIMUM LANDSCAPE AREA		341.72	10.00	%
	PROPOSED LANDSCAPE AREA		376.22	11.00	%
6	PERMISSIBLE MAX. COVERED AREA		1366.92	40.00	%
	ACHIEVED COVERED AREA		1365.91	39.97	%
7	PERMISSIBLE MAX. SERVICES AREA		480.97	5.00	%
	ACHIEVED SERVICE/ CLUB AREA		395.24	4.10	%
8	PERMISSIBLE AREA FOR COMM.		—	50.00	% Of Achieved BAR
	ACHIEVED COMMERCIAL AREA		3655.41		%
9	TOTAL UNIT OF FLATS				
		BLOCK/ FLOOR	FLAT	STORIES	TOTAL FLATS
			11	6	66

BUILDING PLAN TECHNICALLY CHECKED BY- [signature]

नोट:- अनुमोदित मानचित्र मे व गणना मे संशोधन कर मैकेनिकल पार्किंग हटा दी गई है।

1. [illegible] कार्य की प्रक्रिया मॉडल राजस्थान भवन विनियम 2020 के प्रावधानानुसार पूर्ण की जानी होगी।
2. दिव्यांगजन हेतु भवन संबंधी संगत सुविधाएं उपलब्ध करवानी होगी।
3. मानक बी.ए.आर. से अतिरिक्त बी.ए.आर. की बेटरमेन्ट लेवी देय होगी।
4. भवन का संरचनात्मक अभिकल्पन एवं सुरक्षा नेशनल बिल्डिंग कोड के उपबन्धों के अनुसार की जानी होगी।
5. भवन निर्माण उपरान्त पूर्णता प्रमाण-पत्र व अधिवास प्रमाण-पत्र [illegible] किया जाना आवश्यक होगा।

~~LAYOUT PLAN~~ / BUILDING PLAN TECHNICALLY APPROVED WITH CONDITIONS VIDE THIS OFFICE LETTER NO. 1190 DATED 06/11/2023

(रामस्वरूप चौधरी)
सहायक नगर नियोजक
कार्या. वरिष्ठ नगर नियोजक
बीकानेर जोन, बीकानेर

(मनीष कुमार)
उप नगर नियोजक
कार्या. वरिष्ठ नगर नियोजक
बीकानेर जोन, बीकानेर

(राकेश मालवा)
वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर नियोजन विभाग
बीकानेर जोन, बीकानेर

SUBMISSION DRAWINGS

SITE PLAN

SCALE:- 1= 100

NORTH :

PROJECT:-

SHREE DHARA REALTORS JAINARAYAN VYAS NAGAR K.NO.83 PURANA VILL.BIKANER DIS.BIKANER

ARCHITECTS:-

GRAPHITE DESIGN STUDIO
ARCHITECTS, INTERIOR DESIGNERS, PLANNERS
PLOT NO 68, JANAK PURI-I, IMLIWALA PAHTAK, JAIPUR-302005
email: akshit@graphitedesignstudio.com

Approved Vide BPAC Meeting
Dated:- 14.12.2023 Letter No. 19532

सचिव
नगर विकास न्यास
बीकानेर (राज०)

[illegible]
नगर विकास न्यास
बीकानेर

OWNER

For Shree Dhara Realtors
Partner

उप-नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
बीकानेर

ARCHITECTS

REGISTERED ARCHITECT AKSHIT THOLIA CA/2012/57066 COUNCIL OF ARCHITECTURE

SHEET NO. 02

1. निर्माण कार्य की प्रक्रिया मॉडल राजस्थान भवन विनियम 2020 के प्रावधानानुसार पूर्ण की जानी होगी।
2. दिव्यांगजन हेतु भवन संबंधी संगत सुविधाएं उपलब्ध करवानी होगी।
3. मानक बी.ए.आर. से अतिरिक्त बी.ए.आर. की बेटरमेन्ट लेवी देय होगी।
4. भवन का संरचनात्मक अभिकल्पन एवं सुरक्षा नेशनल बिल्डिंग कोड के उपबन्धो के अनुसार की जानी होगी।
5. भवन निर्माण उपरान्त पूर्णता प्रमाण–पत्र व अधिवास प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

BUILDING PLAN TECHNICALLY CHECKED BY.

~~LAYOUT PLAN~~ / BUILDING PLAN TECHNICALLY APPROVED WITH CONDITIONS VIDE THIS OFFICE LETTER NO. 1190 DATED 06/11/2023

(रामस्वरूप चौधरी)
सहायक नगर नियोजक
कार्या. वरिष्ठ नगर नियोजक
बीकानेर जोन, बीकानेर

(मनीष कुमार)
उप नगर नियोजक
कार्या. वरिष्ठ नगर नियोजक
बीकानेर जोन, बीकानेर

(राकेश मातवा)
वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर नियोजन विभाग
बीकानेर जोन, बीकानेर

TOTAL NOS OF CARS= 65 Nos

TOTAL NOS OF 2 WHEELER 33 Nos

SUBMISSION DRAWINGS

BASEMENT -3 FLOOR PLAN

SCALE:- 1= 100

NORTH :

PROJECT:-

SHREE DHARA REALTORS JAINARAYAN VYAS NAGAR K.NO.83 PURANA VILL.BIKANER DIS.BIKANER

ARCHITECTS:-

GRAPHITE DESIGN STUDIO

ARCHITECTS, INTERIOR DESIGNERS, PLANNERS

PLOT NO 68, JANAK PURI-I, IMLIWALA PAHTAK, JAIPUR-302005
email: akshit@graphitedesignstudio.com

Approved Vide BPAC Meeting
Dated:- 14.12.2023 Letter No. 19532

सचिव
नगर विकास न्यास
बीकानेर (राज०)

वरिष्ठ प्रारूपकार
नगर विकास न्यास
बीकानेर

OWNER	ARCHITECTS
For Shree Dhara Realtors Partner उप–नगर नियोजक नगर विकास न्यास बीकानेर	REGISTERED ARCHITECT AKSHIT THOLIA CA/2012/57066 COUNCIL OF ARCHITECTURE

SHEET NO. 03

Approved Vide BPAC Meeting
Dated:- 14.12.2023 Letter No. 19532

सचिव
नगर विकास न्यास
बीकानेर (राज०)

नगर विकास न्यास
बीकानेर

BUILDING PLAN TECHNICALLY
CHECKED BY-

1. निर्माण कार्य की प्रक्रिया मॉडल राजस्थान भवन विनियम 2020 के प्रावधानानुसार पूर्ण की जानी होगी।
2. दिव्यांगजन हेतु भवन संबंधी संगत सुविधाएं उपलब्ध करवानी होगी।
3. [illegible] से अतिरिक्त बी.ए.आर. की बेटरमेन्ट लेवी देय होगी।
4. भवन का संरचनात्मक अभिकल्प एवं सुरक्षा नेशनल बिल्डिंग कोड के उपबन्धो के अनुसार की जानी होगी।
5. भवन निर्माण उपरान्त पूर्णता प्रमाण–पत्र व अधिवास प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

~~LAYOUT PLAN~~ BUILDING PLAN TECHNICALLY
APPROVED WITH CONDITIONS VIDE THIS OFFICE
LETTER NO. 1190 DATED 06/11/2023

(रामस्वरुप चौधरी)
सहायक नगर नियोजक
कार्या. वरिष्ठ नगर नियोजक
बीकानेर जोन, बीकानेर

(मनीष कुमार)
उप नगर नियोजक
कार्या. वरिष्ठ नगर नियोजक
बीकानेर जोन, बीकानेर

(राकेश मालवा)
वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर नियोजन विभाग
बीकानेर जोन, बीकानेर

TOTAL NOS OF CARS= 86 Nos – 32 = 54 NOS

TOTAL NOS OF 2 WHEELER 56 Nos

नोट:- अनुमोदित मानचित्र मे संशोधन कर दर्शित मैकेनिकल पार्किंग हटा दीगई है।

SUBMISSION DRAWINGS

BASEMENT -2 FLOOR PLAN

SCALE:- 1= 100

NORTH :

S
E W
N

PROJECT:-

SHREE DHARA REALTORS JAINARAYAN VYAS NAGAR K.NO.83 PURANA VILL.BIKANER DIS.BIKANER

ARCHITECTS:-

GRAPHITE DESIGN STUDIO

ARCHITECTS, INTERIOR DESIGNERS, PLANNERS

PLOT NO 68, JANAK PURI-I, IMLIWALA PAHTAK, JAIPUR-302005
email: akshit@graphitedesignstudio.com

OWNER	ARCHITECTS
For Shree Dhara Realtors Partner उप–नगर नियोजक नगर विकास न्यास बीकानेर	REGISTERED ARCHITECT AKSHIT THOLIA CA/2012/57066 COUNCIL OF ARCHITECTURE

SHEET NO. 04

1. निर्माण कार्य की प्रक्रिया मॉडल राजस्थान भवन विनियम 2020 के प्रावधानानुसार पूर्ण की जानी होगी।
2. दिव्यांगजन हेतु भवन संबंधी संगत सुविधाएं उपलब्ध करवानी होगी।
3. मानक बी.ए.आर. से अतिरिक्त बी.ए.आर. की बेटरमेन्ट लेवी देय होगी।
4. भवन का संरचनात्मक अभिकल्पन एवं सुरक्षा नेशनल बिल्डिंग कोड के उपबन्धों के अनुसार की जानी होगी।
5. भवन निर्माण उपरान्त पूर्णता प्रमाण-पत्र व अधिवास प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

BUILDING PLAN TECHNICALLY CHECKED BY- Jaj hawat

~~LAYOUT PLAN~~ / BUILDING PLAN TECHNICALLY APPROVED WITH CONDITIONS VIDE THIS OFFICE LETTER NO. 1190 DATED 06/11/2023

(रामस्वरूप चौधरी)
सहायक नगर नियोजक
कार्या. वरिष्ठ नगर नियोजक
बीकानेर जोन, बीकानेर

(मनीष कुमार)
उप नगर नियोजक
कार्या. वरिष्ठ नगर नियोजक
बीकानेर जोन, बीकानेर

(राकेश मातवा)
वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर नियोजन विभाग
बीकानेर जोन, बीकानेर

TOTAL NOS OF 2 WHEELER 77 Nos

SUBMISSION DRAWINGS

BASEMENT -1 FLOOR PLAN

SCALE:- 1= 100

NORTH :

S E W N

PROJECT:-

SHREE DHARA REALTORS JAINARAYAN VYAS NAGAR K.NO.83 PURANA VILL.BIKANER DIS.BIKANER

ARCHITECTS:-

GRAPHITE DESIGN STUDIO

ARCHITECTS, INTERIOR DESIGNERS, PLANNERS

PLOT NO 68, JANAK PURI-I, IMLIWALA PAHTAK, JAIPUR-302005
email: akshit@graphitedesignstudio.com

Approved Vide BPAC Meeting
Dated:- 14.12.2023 Letter No. 19532

OWNER	ARCHITECTS
For Shree Dhara Realtors Partner उप-नगर नियोजक नगर विकास न्यास बीकानेर	REGISTERED ARCHITECT AKSHIT THOLIA CA/2012/57066 COUNCIL OF ARCHITECTURE

सचिव
नगर विकास न्यास
बीकानेर (राज०)

वरिष्ठ प्रारूपकार
नगर विकास न्यास
बीकानेर

SHEET NO. 05

BUILDING PLAN TECHNICALLY CHECKED BY- Jayhawat

1. निर्माण कार्य की प्रक्रिया मॉडल राजस्थान भवन विनियम 2020 के प्रावधानानुसार पूर्ण की जानी होगी।
2. दिव्यांगजन हेतु भवन संबंधी संगत सुविधाएं उपलब्ध करवानी होगी।
3. मानक बी.ए.आर. से अतिरिक्त बी.ए.आर. की बेटरमेन्ट लेवी देय होगी।
4. भवन का संरचनात्मक अभिकल्पन एवं सुरक्षा नेशनल बिल्डिंग कोड के उपबन्धो के अनुसार की जानी होगी।
5. भवन निर्माण उपरान्त पूर्णता प्रमाण-पत्र व अधिवास प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

~~LAYOUT PLAN~~ / BUILDING PLAN TECHNICALLY APPROVED WITH CONDITIONS VIDE THIS OFFICE LETTER NO. 1190 DATED 06/11/2023

(रामस्वरूप चौधरी)
सहायक नगर नियोजक
कार्या. वरिष्ठ नगर नियोजक
बीकानेर जोन, बीकानेर

(मनीष कुमार)
उप नगर नियोजक
कार्या. वरिष्ठ नगर नियोजक
बीकानेर जोन, बीकानेर

(राकेश मातवा)
वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर नियोजन विभाग
बीकानेर जोन, बीकानेर

SUBMISSION DRAWINGS

GROUND FLOOR PLAN

SCALE:- 1= 100

NORTH :

PROJECT:-

SHREE DHARA REALTORS JAINARAYAN VYAS NAGAR K.NO.83 PURANA VILL.BIKANER DIS.BIKANER

ARCHITECTS:-

GRAPHITE DESIGN STUDIO

ARCHITECTS, INTERIOR DESIGNERS, PLANNERS

PLOT NO 68, JANAK PURI-I, IMLIWALA PAHTAK, JAIPUR-302005
email: akshit@graphitedesignstudio.com

Approved Vide BPAC Meeting Dated:- 14.12.23 Letter No. 19532

सचिव
नगर विकास न्यास
बीकानेर (राज०)

न्यास
बीकानेर

OWNER	ARCHITECTS
For Shree Dhara Realtors Partner	REGISTERED ARCHITECT AKSHIT THOLIA CA/2012/57066 COUNCIL OF ARCHITECTURE
उप-नगर नियोजक नगर विकास न्यास बीकानेर	

SHEET NO. 06

1. निर्माण कार्य की प्रक्रिया मॉडल राजस्थान भवन विनियम 2020 के प्रावधानानुसार पूर्ण की जानी होगी।
2. दिव्यांगजन हेतु भवन संबंधी संगत सुविधाएं उपलब्ध करवानी होगी।
3. मानक बी.ए.आर. से अतिरिक्त बी.ए.आर. की बेटरमेन्ट लेवी देय होगी।
4. भवन का संरचनात्मक अभिकल्पन एवं सुरक्षा नेशनल बिल्डिंग कोड के उपबंधों के अनुसार की जानी होगी।
5. भवन निर्माण उपरान्त पूर्णता प्रमाण-पत्र व अधिवास प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

BUILDING PLAN TECHNICALLY CHECKED BY- *(signature)*

~~LAYOUT PLAN~~ / BUILDING PLAN TECHNICALLY APPROVED WITH CONDITIONS VIDE THIS OFFICE LETTER NO. 1190 DATED 06/11/2023

(रामस्वरूप चौधरी)
सहायक नगर नियोजक
कार्या. वरिष्ठ नगर नियोजक
बीकानेर जोन, बीकानेर

(मनीष कुमार)
उप नगर नियोजक
कार्या. वरिष्ठ नगर नियोजक
बीकानेर जोन, बीकानेर

(राकेश मातवा)
वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर नियोजन विभाग
बीकानेर जोन, बीकानेर

SUBMISSION DRAWINGS

FIRST FLOOR PLAN

SCALE:- 1= 100

NORTH : S E W N

PROJECT:-

SHREE DHARA REALTORS JAINARAYAN VYAS NAGAR K.NO.83 PURANA VILL.BIKANER DIS.BIKANER

ARCHITECTS:-

GRAPHITE DESIGN STUDIO

ARCHITECTS, INTERIOR DESIGNERS, PLANNERS

PLOT NO 68, JANAK PURI-I, IMLIWALA PAHTAK, JAIPUR-302005
email: akshit@graphitedesignstudio.com

OWNER	ARCHITECTS
For Shree Dhara Realtors *(signature)* Partner	REGISTERED ARCHITECT AKSHIT THOLIA CA/2012/57066 COUNCIL OF ARCHITECTURE

Approved Vide BPAC Meeting
Dated:- 14.12.2023 Letter No. 19532

सचिव
नगर विकास न्यास
बीकानेर (राज०)

नगर विकास न्यास
बीकानेर

उप-नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
बीकानेर

SHEET NO. 07

1. निर्माण कार्य की प्रक्रिया मॉडल राजस्थान भवन विनियम 2020 के प्रावधानानुसार पूर्ण की जानी होगी।
2. दिव्यांगजन हेतु भवन संबंधी संगत सुविधाएं उपलब्ध करवानी होगी।
3. मानक बी.ए.आर. से अतिरिक्त बी.ए.आर. की बेटरमेन्ट लेवी देय होगी।
4. भवन का संरचनात्मक अभिकल्पन एवं सुरक्षा नेशनल बिल्डिंग कोड के उपबन्धों के अनुसार की जानी होगी।
5. भवन निर्माण उपरान्त पूर्णता प्रमाण-पत्र व अधिवास प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

BUILDING PLAN TECHNICALLY CHECKED BY: Jaihawat

~~LAYOUT PLAN~~ / BUILDING PLAN TECHNICALLY APPROVED WITH CONDITIONS VIDE THIS OFFICE LETTER NO. 1190 DATED 06/11/2023

(रामस्वरूप चौधरी)
सहायक नगर नियोजक
कार्या. वरिष्ठ नगर नियोजक
बीकानेर जोन, बीकानेर

(मनीष कुमार)
उप नगर नियोजक
कार्या. वरिष्ठ नगर नियोजक
बीकानेर जोन, बीकानेर

(राकेश मालवा)
वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर नियोजन विभाग
बीकानेर जोन, बीकानेर

SUBMISSION DRAWINGS

2nd FLOOR PLAN

SCALE:- 1= 100

NORTH :

PROJECT:-

SHREE DHARA REALTORS JAINARAYAN VYAS NAGAR K.NO.83 PURANA VILL.BIKANER DIS.BIKANER

ARCHITECTS:-

GRAPHITE DESIGN STUDIO

ARCHITECTS, INTERIOR DESIGNERS, PLANNERS

PLOT NO 68, JANAK PURI-I, IMLIWALA PAHTAK, JAIPUR-302005
email: akshit@graphitedesignstudio.com

Approved Vide BPAC Meeting Dated:- 14.12.2023 Letter No. 19532

OWNER	ARCHITECTS
For Shree Dhara Realtors Partner	AKSHIT THOLIA CA/2012/57056

सचिव
नगर विकास न्यास
बीकानेर (राज०)

वरिष्ठ प्रारूपकार
नगर विकास न्यास
बीकानेर

उप-नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
बीकानेर

SHEET NO. 08

BUILDING PLAN TECHNICALLY CHECKED BY- Jashawant

1. निर्माण कार्य की प्रक्रिया मॉडल राजस्थान भवन विनियम 2020 के प्रावधानानुसार पूर्ण की जानी होगी।
2. दिव्यांगजन हेतु भवन संबंधी संगत सुविधाएं उपलब्ध करवानी होगी।
3. मानक बी.ए.आर. से अतिरिक्त बी.ए.आर. की बेटरमेन्ट लेवी देय होगी।
4. भवन का संरचनात्मक अभिकल्पन एवं सुरक्षा नेशनल बिल्डिंग कोड के उपबन्धो के अनुसार की जानी होगी।
5. भवन निर्माण उपरान्त पूर्णता प्रमाण-पत्र व अधिवास प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

~~LAYOUT PLAN~~ / BUILDING PLAN TECHNICALLY APPROVED WITH CONDITIONS VIDE THIS OFFICE
LETTER NO. 1190 DATED 06/11/2023

(रामस्वरूप चौधरी)
सहायक नगर नियोजक
कार्या. वरिष्ठ नगर नियोजक
बीकानेर जोन, बीकानेर

(मनीष कुमार)
उप नगर नियोजक
कार्या. वरिष्ठ नगर नियोजक
बीकानेर जोन, बीकानेर

(राकेश मालवा)
वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर नियोजन विभाग
बीकानेर जोन, बीकानेर

SUBMISSION DRAWINGS

3rd to 7th FLOOR PLAN

SCALE:- 1= 100

NORTH :

S
E W
N

PROJECT:-

SHREE DHARA REALTORS JAINARAYAN VYAS NAGAR K.NO.83 PURANA VILL.BIKANER DIS.BIKANER

ARCHITECTS:-

GRAPHITE DESIGN STUDIO

ARCHITECTS, INTERIOR DESIGNERS, PLANNERS

PLOT NO-68, JANAK PURI-I, IMLIWALA PAHTAK, JAIPUR-302005
email: akshit@graphitedesignstudio.com

OWNER	ARCHITECTS
For Shree Dhara Realtors Partner	REGISTERED ARCHITECT AKSHIT THOLIA CA/2012/57066 COUNCIL OF ARCHITECTURE

Approved Vide BPAC Meeting
Dated:- 14.12.2023 Letter No. 19532

सचिव
नगर विकास न्यास
बीकानेर (राज०)

नगर विकास न्यास
बीकानेर

उप-नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
बीकानेर

SHEET NO. 09

1. निर्माण कार्य की प्रक्रिया मॉडल राजस्थान भवन विनियम 2(
के प्रावधानानुसार पूर्ण की जानी होगी।
2. दिव्यांगजन हेतु भवन संबंधी संगत सुविधाएं उपलब्ध करवानी होगी।
3. मानक बी.ए.आर. से अतिरिक्त बी.ए.आर. की बेटरमेन्ट लेवी देय होगी।
4. भवन का संरचनात्मक अभिकल्पन एवं सुरक्षा नेशनल बिल्डिंग कोड के उपबन्धों के अनुसार की जानी होगी।
5. भवन निर्माण उपरान्त पूर्णता प्रमाण-पत्र व अधिवास प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

BUILDING PLAN TECHNICALLY CHECKED BY- Jaihawat

~~LAYOUT PLAN~~ / BUILDING PLAN TECHNICALLY APPROVED WITH CONDITIONS VIDE THIS OFFICE LETTER NO. 1190 DATED 06/11/2023

(रामस्वरूप चौधरी)
सहायक नगर नियोजक
कार्या. वरिष्ठ नगर नियोजक
बीकानेर जोन, बीकानेर

(मनीष कुमार)
उप नगर नियोजक
कार्या. वरिष्ठ नगर नियोजक
बीकानेर जोन, बीकानेर

(राकेश मातवा)
वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर नियोजन विभाग
बीकानेर जोन, बीकानेर

SUBMISSION DRAWINGS

TERRACE PLAN

SCALE:- 1= 100

NORTH :

S
E
W
N

PROJECT:-

SHREE DHARA REALTORS JAINARAYAN VYAS NAGAR K.NO.83 PURANA VILL.BIKANER DIS.BIKANER

ARCHITECTS:-

GRAPHITE DESIGN STUDIO
ARCHITECTS, INTERIOR DESIGNERS, PLANNERS
PLOT NO 68, JANAK PURI-I, IMLIWALA PAHTAK, JAIPUR-302005
email: akshit@graphitedesignstudio.com

OWNER	ARCHITECTS
For Shree Dhara Realtors Partner	REGISTERED ARCHITECT AKSHIT THOLIA CA/2012/57066

Approved Vide BPAC Meeting
Dated:- 14.12.2023 Letter No. 19532

सचिव
नगर विकास न्यास
बीकानेर (राज०)

[illegible]
नगर विकास न्यास
बीकानेर

उप-नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
बीकानेर

SHEET NO. 10

LIFT SIDE ELEVATION

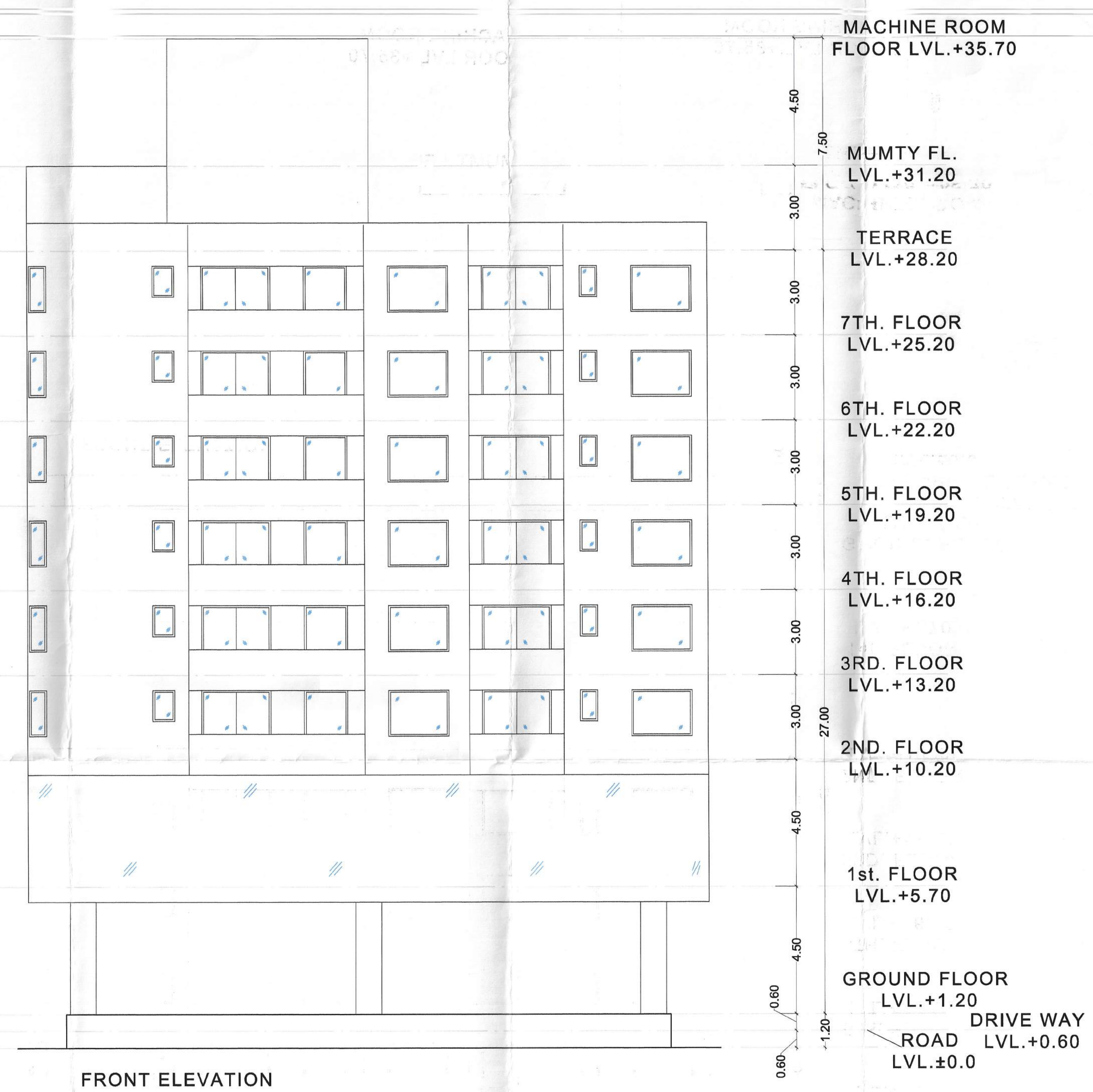

FRONT ELEVATION

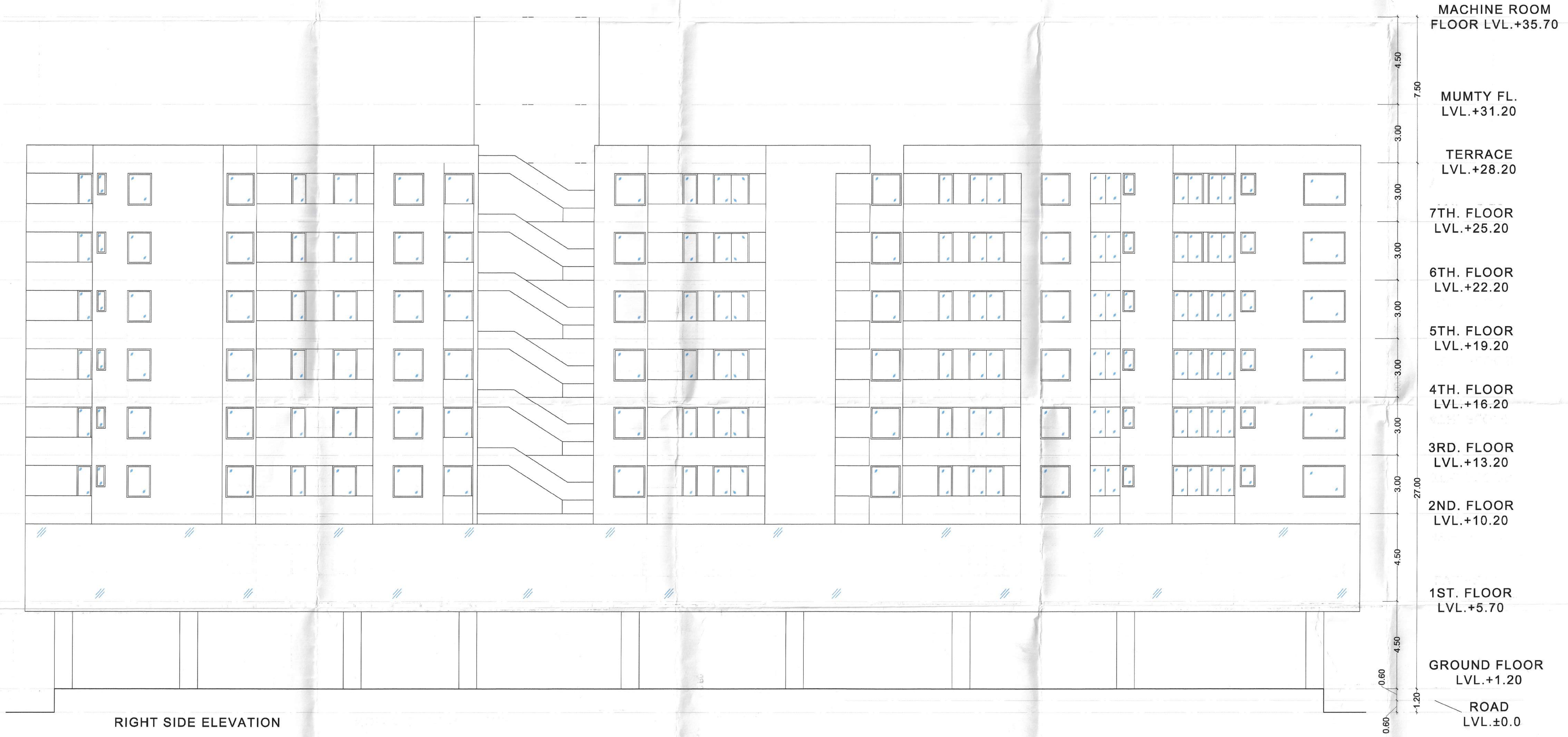

RIGHT SIDE ELEVATION

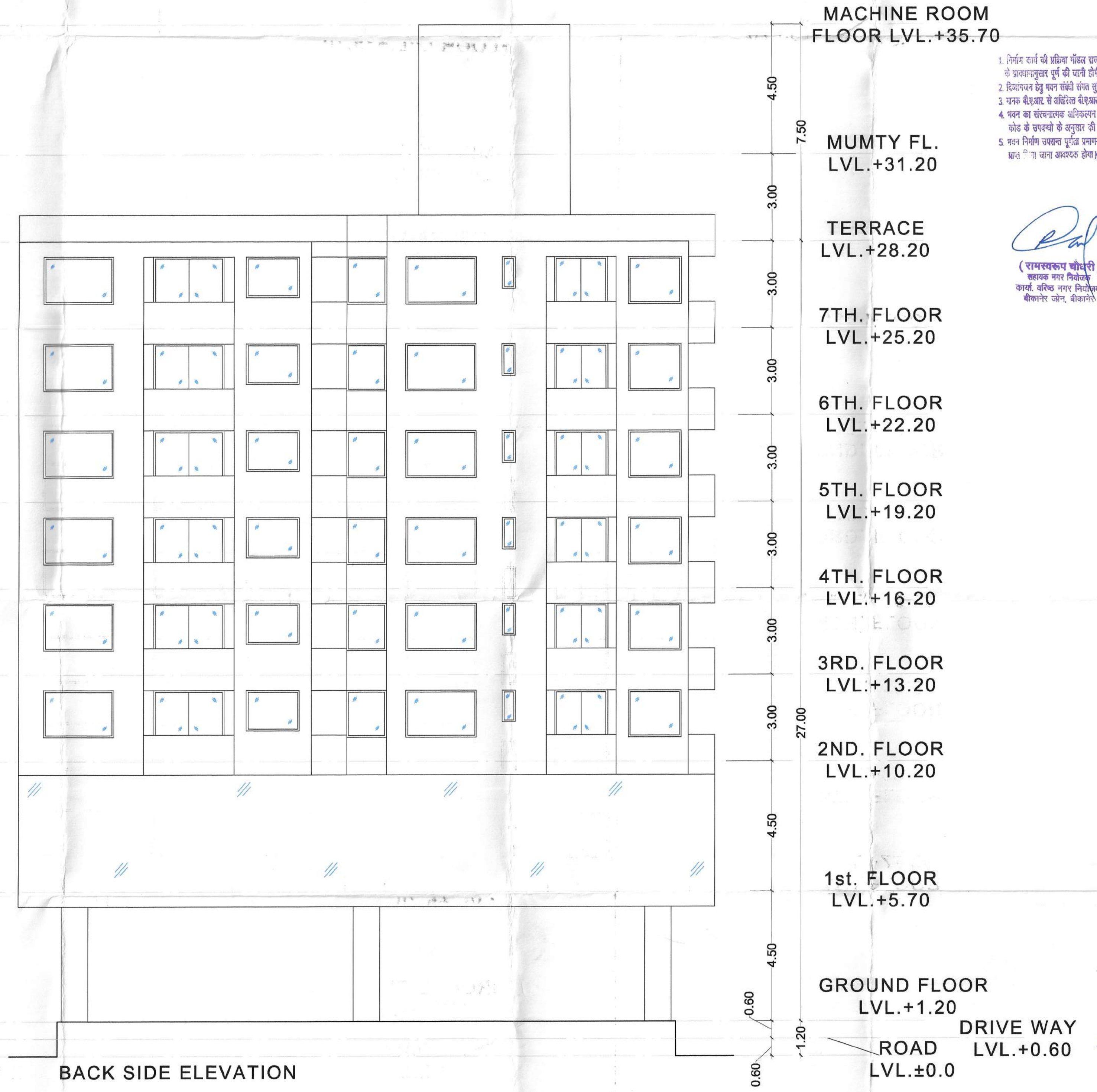

BACK SIDE ELEVATION

1. निर्माण कार्य की प्रक्रिया मॉडल राजस्थान भवन विनियम 2020 के प्रावधानानुसार पूर्ण की जानी होगी।
2. दिव्यांगजन हेतु भवन संबंधी संगत सुविधाएं उपलब्ध करवानी होगी।
3. मानक बी.ए.आर. से अतिरिक्त बी.ए.आर. की बेटरमेंट लेवी देय होगी।
4. भवन का संरचनात्मक अभिकल्पन एवं सुरक्षा नेशनल बिल्डिंग कोड के उपबन्धो के अनुसार की जानी होगी।
5. भवन निर्माण उपरान्त पूर्णता प्रमाण-पत्र व अधिवास प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

BUILDING PLAN TECHNICALLY CHECKED BY- [signature]

~~LAYOUT PLAN~~ / BUILDING PLAN TECHNICALLY APPROVED WITH CONDITIONS VIDE THIS OFFICE LETTER NO. 1190 DATED 06/11/2023

(रामस्वरूप चौधरी)
सहायक नगर नियोजक
कार्या. वरिष्ठ नगर नियोजक
बीकानेर जोन, बीकानेर

(मनीष कुमार)
उप नगर नियोजक
कार्या. वरिष्ठ नगर नियोजक
बीकानेर जोन, बीकानेर

(राकेश मातवा)
वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर नियोजन विभाग
बीकानेर जोन, बीकानेर

SUBMISSION DRAWINGS

ELEVATION

SCALE:- 1= 100

NORTH :

PROJECT:-

SHREE DHARA REALTORS JAINARAYAN
VYAS NAGAR K.NO.83 PURANA
VILL.BIKANER DIS.BIKANER

ARCHITECTS:-

GRAPHITE DESIGN STUDIO
ARCHITECTS, INTERIOR DESIGNERS, PLANNERS
PLOT NO 68, JANAK PURI-I, IMLIWALA PAHTAK, JAIPUR-302005
CONTACT NO. +91-9928334414, 0141-2594414
email: akshit@graphitedesignstudio.com

OWNER	ARCHITECTS
For Shree Dhara Realtors Partner	AKSHIT THOLIA CA/2014/57066 REGISTERED ARCHITECT · COUNCIL OF ARCHITECTURE

Approved Vide BPAC Meeting Dated:- 14.12.2023 Letter No. 19532

सचिव
नगर विकास न्यास
बीकानेर (राज०)

वरिष्ठ प्रारूपकार
नगर विकास न्यास
बीकानेर

उप-नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
बीकानेर

SHEET NO. 11

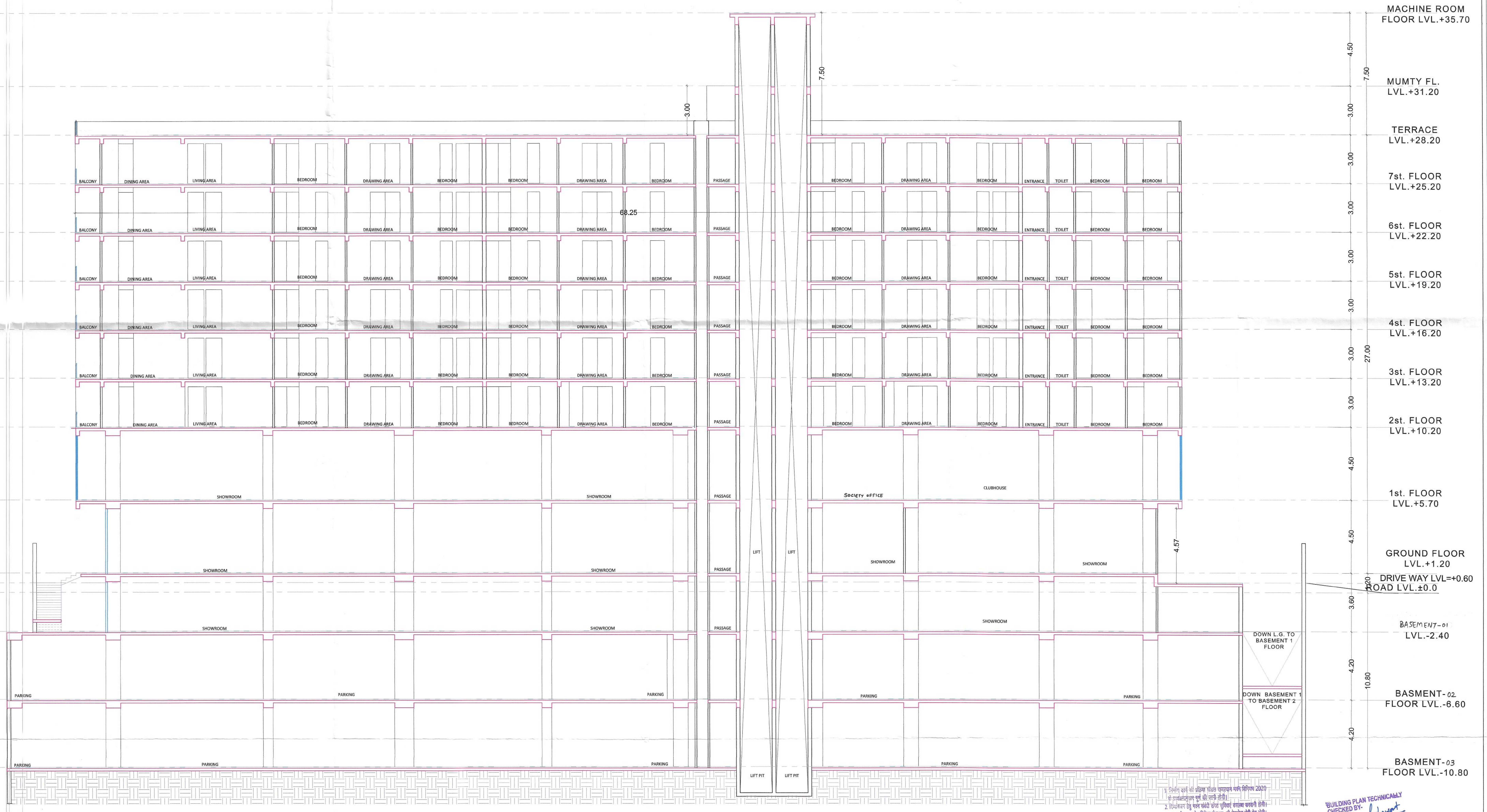

SECTION A-A

1. निर्माण कार्य की प्रक्रिया मॉडल राजस्थान भवन विनियम 2020 के प्रावधानानुसार पूर्ण की जानी होगी।
2. दिव्यांगजन हेतु भवन संबंधी संगत सुविधाएं उपलब्ध करवानी होगी।
3. मानक बी.एआर. से अतिरिक्त बी.एआर. की बेटरमेन्ट लेवी देय होगी।
4. भवन का संरचनात्मक अभिकल्पन एवं सुरक्षा नेशनल बिल्डिंग कोड के उपबन्धो के अनुसार की जानी होगी।
5. भवन निर्माण उपरान्त पूर्णता प्रमाण-पत्र व अधिवास प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

BUILDING PLAN TECHNICALLY CHECKED BY- [signature]

~~LAYOUT PLAN~~ / BUILDING PLAN TECHNICALLY APPROVED WITH CONDITIONS VIDE THIS OFFICE LETTER NO. 1190 DATED 06/11/2023

(रामस्वरूप चौधरी)
सहायक नगर नियोजक
कार्या. वरिष्ठ नगर नियोजक
बीकानेर जोन, बीकानेर

(मनीष कुमार)
उप नगर नियोजक
कार्या. वरिष्ठ नगर नियोजक
बीकानेर जोन, बीकानेर

(राकेश मातवा)
वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर नियोजन विभाग
बीकानेर जोन, बीकानेर

SECTION B-B

SUBMISSION DRAWINGS	
SECTION	
SCALE:- 1= 100	NORTH : S E W N

PROJECT:-

SHREE DHARA REALTORS JAINARAYAN VYAS NAGAR K.NO.83 PURANA VILL.BIKANER DIS.BIKANER

ARCHITECTS:-

GRAPHITE DESIGN STUDIO

ARCHITECTS, INTERIOR DESIGNERS, PLANNERS
PLOT NO 68, JANAK PURI-I, IMLIWALA PAHTAK, JAIPUR-302005
CONTACT NO. +91-9928334414, 0141-2594414
email: akshit@graphitedesignstudio.com

OWNER	ARCHITECTS
For Shree Dhara Realtors [signature] Partner	REGISTERED ARCHITECT AKSHIT THOLIA CA/2012/57066 COUNCIL OF ARCHITECTURE [signature]

Approved Vide BPAC Meeting Dated:- 14.12.2023 Letter No. 19532

[signature]
नगर विकास न्यास
बीकानेर

सचिव
नगर विकास न्यास
बीकानेर (राज०)

उप-नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
बीकानेर

SHEET NO. 12

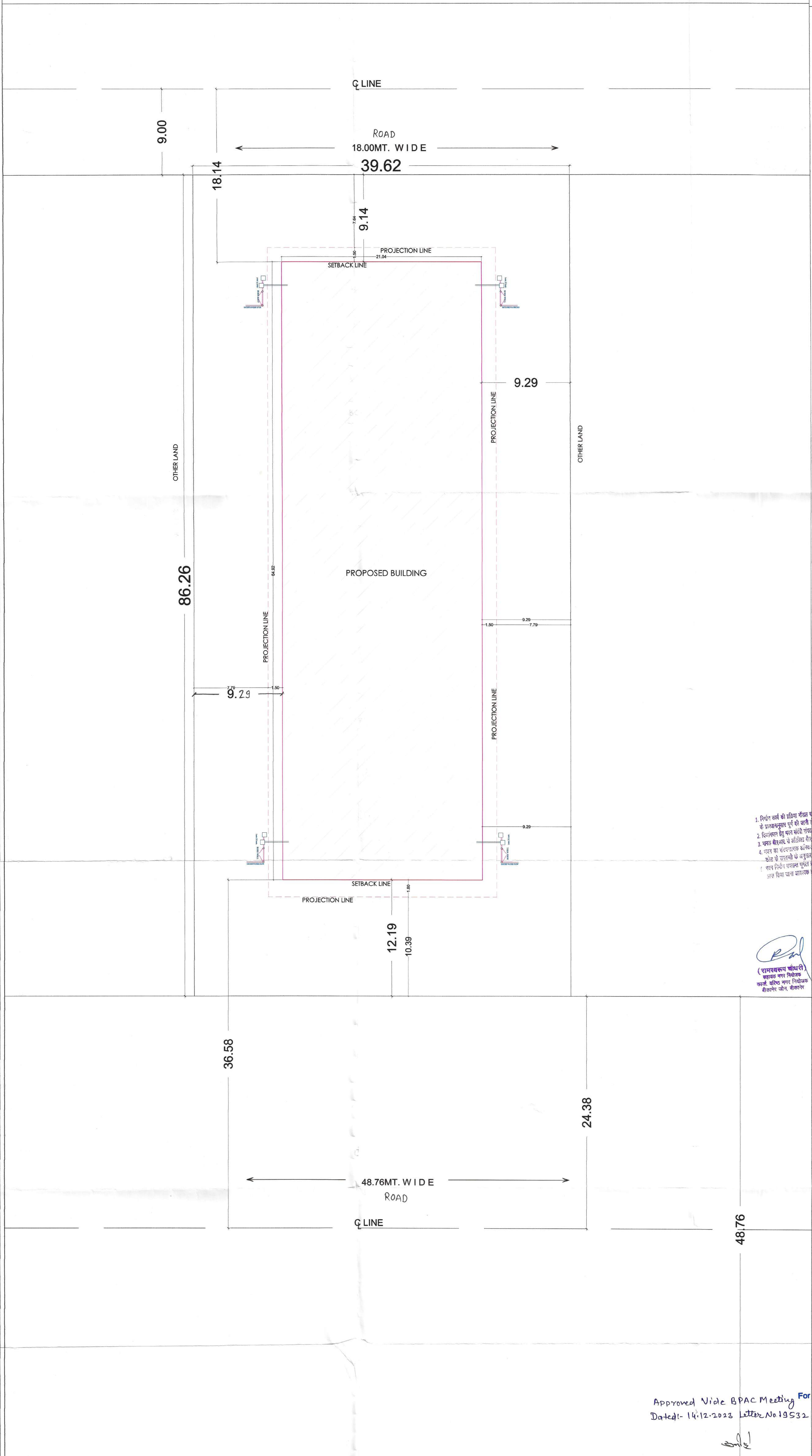

BUILDING PLAN TECHNICALLY CHECKED BY- *(signature)*

1. निर्माण कार्य की प्रक्रिया मॉडल राजस्थान भवन विनियम 2020 के प्रावधानानुसार पूर्ण की जानी होगी।
2. दिव्यांगजन हेतु भवन संबंधी समस्त सुविधाएं उपलब्ध करवानी होगी।
3. मानक बी.ए.आर. से अतिरिक्त बी.ए.आर. की बेटरमेन्ट लेवी देय होगी।
4. भवन का संरचनात्मक अभिकल्पन एवं सुरक्षा नेशनल बिल्डिंग कोड के उपबन्धों के अनुसार की जानी होगी।
5. भवन निर्माण उपरान्त पूर्णता प्रमाण-पत्र व अधिवास प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

~~LAYOUT PLAN~~/ BUILDING PLAN TECHNICALLY APPROVED WITH CONDITIONS VIDE THIS OFFICE LETTER NO. 1190 DATED 06/11/2023

(रामस्वरूप चौधरी)
सहायक नगर नियोजक
कार्या. वरिष्ठ नगर नियोजक
बीकानेर जोन, बीकानेर

(मनीष कुमार)
उप नगर नियोजक
कार्या. वरिष्ठ नगर नियोजक
बीकानेर जोन, बीकानेर

(राकेश मातवा)
वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर नियोजन विभाग
बीकानेर जोन, बीकानेर

SUBMISSION DRAWINGS

SITE PLAN/ KEY PLAN

SCALE:- N.T.S.	NORTH :

PROJECT:-

SHREE DHARA REALTORS JAINARAYAN VYAS NAGAR K.NO.83 PURANA VILL.BIKANER DIS.BIKANER

ARCHITECTS:-

GRAPHITE DESIGN STUDIO
ARCHITECTS, INTERIOR DESIGNERS, PLANNERS
PLOT NO 68, JANAK PURI-I, IMLIWALA PAHTAK, JAIPUR-302005
email: akshit@graphitedesignstudio.com

Approved Vide BPAC Meeting
Dated:- 14.12.2023 Letter No. 19532

सचिव
नगर विकास न्यास
बीकानेर (राज०)

OWNER	ARCHITECTS
For Shree Dhara Realtors Partner	REGISTERED ARCHITECT AKSHIT THOLIA CA/2012/57066 COUNCIL OF ARCHITECTURE

उप-नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
बीकानेर

Date:-02-03-2024

AREA CALCULATION OF PROJECT "SOMNATH "

Site Address- Khasra No. 83 Purana, Jainarayan Vyas Colony Road,
Tehsil & District- Bikaner, State- Rajasthan

1. Total Land Area: 3417.29 sq.mtr.
2. Total Open Area: 2,051.38 sq.mtr.
3. Total Gross Built-up Area: 20,975.3 sq.mtr.
4. Total No. of saleable Units: 66. (Residential) + 3 (Commercial)

REGISTERED ARCHITECT
AKSHIT THOLIA
CA/2012/57066
COUNCIL OF ARCHITECTURE

…………………………..
(Seal and Sign of COA Registered Architect)